न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 87/2023
वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जसकरण सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवालासिखान तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ

–वादी

बनाम्

1. सुखदेव सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवालासिखान संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
2. सर्वजीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ़
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–1. श्री राजेश बुडानिया –वकील वादीगण
2. श्री मनीराम सहू–वकील प्रति 1 व 2

निर्णय **दिनांक :– / /2023**

वादी जसकरण सिंह ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 22–02–2023 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। कि वादी व प्रतिवादी सं 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है वादी प्रतिवादी सं 1 का पुत्र व प्रतिवादी सख्या 2 का भाई है प्रतिवादी सख्या 1 के नाम चक न 15 ए.एम.पी ज.स 2072–2075 के खाता स 120/86 मे 0.506 हे0 व चक न. 7 एन.के.आर ज.स 2073–2076 के खाता स 154/126 मे 0.759है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। कि प्रतिवादी सख्या 1 के नाम चक न 15 ए.एम.पी ज.स 2072–2075 के खाता स 120/86 मे 0.506 हे0 व चक न 7 एन.के.आर ज.स 2073–2076 के खाता स 154/126 मे 0.759है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी सख्या 1 व 2 की विरासतन प्राप्त भूमि है। उक्त भूमि मे वादी व प्रतिवादी सख्या 2 का प्रतिवादी सख्या 1 के बराबर ब.ही.ब हक व हिस्सा जन्म से बनता है प्रतिवादी सख्या 2 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि का परित्याग वादी व प्रतिवादी सख्या 1 के पक्ष मे ब.ही.ब कर दिया है। उक्त भूमि का वादी व प्रतिवादी सख्या 1 ने अच्छी मंदी अनुसार घरू विभाजन कर लिया है। मुताबिक घरू विभाजन वादी को चक न 15 ए.एम.पी ज.स

2072—2075 के खाता स 120/86 मे 0.506 हे0 भूमि हिस्सा मे आई है। व प्रतिवादी सख्या 1 को चक न. 7 एन.के.आर ज.स 2073—2076 के खाता स 154/126 मे 0.759है0 भूमि भूमि हिस्सा मे आई है। वादी इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी व दावेदार है। कि वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वादी को वादपत्र की चरण सं. 3 में दर्ज भूमि का हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अकंन करवा व उक्त भूमि को रहन बैय न करे तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादी की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है। कि वाद पत्र बाबत घोषण व शाश्वत व्यादेश का हैं जो उचित 2/—रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है अन्दर मियाद व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। की प्रतिवादी संख्या 3 को लैंण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः वादपत्र प्रस्तूत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें। कि प्रतिवादी स 1 के नाम चक न 15 ए.एम.पी ज.स 2072—2075 के खाता स. 120/86 मे 0.506 हे0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोशित कर प्रतिवादी सख्या 1 के नाम कलमजन किया जावें ।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 3 का जबाव दावा पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। वादी ने शाक्ष्य वादी मे शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्शाया गया। तथा जं.बं. चक नं. 15 ए.एम.पी ज.स 2072—2075 के खाता सं. 120/86 व चक न 7 एन.के.आर ज.स 2073—2076 के खाता सं. 154/126 नहरी कृषि भूमि जो प्रदर्श 1 व 2 हैं। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि प्रतिवादी स 1 के नाम चक न 15 ए.एम.पी ज.स 2072—2075 के खाता स. 120/86 मे 0.506 हे0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सख्या 1 का नाम कलमजन किया जावें । प्रतिवादी के वकील द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस में वादी के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादी ओर प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 व 2 प्रदर्श किये गए बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज 1 व 2 का विरोध नही किया।

प्रतिवादी सं. 1 व 2 का सहमति का जवाब दावा पेश हुआ। इसलिए वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता हैं कि प्रतिवादी स 1 के नाम दर्ज चक न 15 ए.एम.पी ज.स 2072–2075 के खाता स. 120/86 मे 0.506 हे0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

नोटः– बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 18/05/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 87/2023

वाद पत्र अं.धारा :– 88 आरटीए

जसकरण सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवालासिखान तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ

–वादी

बनाम्

1. सुखदेव सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवालासिखान संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
2. सर्वजीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ़
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया। **–:प्रतिवादीगण**

दिनांक :– / /2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानियां वकील वादी व श्री मनीराम सहू वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी स 1 के नाम दर्ज चक न 15 ए.एम.पी ज.स 2072–2075 के खाता स. 120/86 मे 0.506 हे0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे

नोटः– बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निज......×.......नल.......×......मुब्लिक.....×......निल........×.........बाबत.....×....निल....×.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक ...×....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18/05/2023 जारी किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी संगरिया